रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20112026-278087
CG-DL-E-20112026-278087

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 892] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2026/कार्तिक 26, 1948
No. 892] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2026/KARTIKA 26, 1948

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2026

सा.का.नि. 999(अ).— केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज रियायत नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 में -

(i) नियम 21ग के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:

"21ग. पूर्वेक्षण प्रचालन और भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रत्यायन प्रणाली - क्यूसीआई-एनएबीईटी, पूर्वेक्षण अभिकरणों को इस संबंध में क्यूसीआई-एनएबीईटी द्वारा तैयार की गई और कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित स्कीम के अनुसार पूर्वेक्षण प्रचालन और भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रत्यायन प्रदान करेगी।";

(ii) नियम 22ख के उप-नियम (3) में, "इन नियमों की अनुसूची VI में विहित मानकों और प्रक्रियाओं" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर, "इस संबंध में क्यूसीआई-एनएबीईटी द्वारा तैयार की गई और कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित स्कीम" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

(iii) अनुसूची VI का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. सीसीटी-12/1/2026-सीसीटी]

सनोज कुमार झा, अपर सचिव

टिप्पण - मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में, संख्यांक सा.का.नि. 1398, तारीख 26 नवंबर, 1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इन्हें संख्यांक सा.का.नि. 796(अ), तारीख 9 सितंबर, 2026 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2026

G.S.R. 999(E).— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely: —

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Third Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960, -

(i) for rule 21C, the following rule shall be substituted, namely: -

"21C. Accreditation system for prospecting operations and preparation of geological report. - The QCI-NABET shall grant accreditation to Prospecting Agency for undertaking prospecting operations and preparation of geological report in accordance with the scheme prepared by QCI-NABET and approved by the Ministry of Coal in this regard.";

(ii) in rule 22B, in sub-rule (3), for the words and letters "standards and procedures prescribed in Schedule VI of these rules", the words and letters "the scheme prepared by QCI-NABET and approved by the Ministry of Coal in this regard" shall be substituted;

(iii) Schedule VI shall be omitted.

[F. No. CCT-12/1/2026-CCT]

SANOJ KUMAR JHA, Addl. Secy.

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1398, dated the 26th November, 1960 and lastly amended vide number G.S.R. 796(E), dated the 9th September, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.11.20 20:54:03 +05'30'